REGD. NO. D. L.-33004/99



### असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY** 

सं. 1081]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 2013/वैशाख 26, 1935	
No. 1081]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 2013/VAISAKHA 26, 1935	

## सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

## नई दिल्ली, 16 मई, 2013

का.आ. 1227(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतदद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 24 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण	राज्य का नाम
सं.		
"24.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. २ए, सं. ७, सं. ११ कि़मी १७.७५६ से किमी ४२.५२५ (आगरा-उ.	उत्तर प्रदेश
	प्र./राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर), सं. 19, सं. 24 [किमी 27.62 से किमी	की राज्य
	488.27 (हापुड तथा मुरादाबाद बाइपास सहित गाजियाबाद-मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर-	सरकार" ।
	लखनऊ खंड) तक खंड को छोड़कर), सं. 24ए, सं. 27 [किमी 0.000 (रारा सं. 2 का	
	किमी 211.700) से किमी 5.410 (रारा 27 का नया संरेखण) तक खंड को छोड़कर),	
	सं. 28बी, 28सी, सं. 29 किमी 2.225 से किमी 208.500 (वाराणसी-गोरखपुर	
	खंड), सं. 56 { किमी 11.500 से किमी 279.700 (लखनऊ - वाराणसी) तक को	
	छोड़कर}], सं. 58, [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ.	

प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 72ए, सं. 73, सं. 74, सं. 75 [किमी 90.00 से किमी 103.00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा से झांसी) तक खंड को छोड़कर], सं. 76, सं. 86 [किमी 7.43 से किमी 130.100 (कालपुर-कबर्थ्ड खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 91 [किमी 23.600 से किमी 419.000 (गाजियाबाद-अलीगढ़-कालपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 91ए, सं. 92, सं. 93, [किमी 0.00 से किमी 79.00 (आगरा-अलीगढ़ खंड)], सं. 96, सं 97, सं. 119, सं. 233 [किमी 121.800 से किमी 298.450 घध्धर पुल (इंडो नेपाल सीमा) से वाराणसी तक खंड को छोड़कर], सं. 235 [किमी 7.469 से किमी 66.482 (मेरठ-बुलंदशहर) तक खंड को छोड़कर], लया सं. 330ए, लया सं. 730, लया सं. 730ए, लया सं. 931, और लया सं. 931ए के उतने भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं ।

[फा.सं. एनएच-14013/9/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

# टिप्पणः मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ.-866 (अ), तारीख 01 अप्रैल, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था । MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2013

**S.O. 1227(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial numbers 24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: —

"24	So much of National Highways No.2A, No.7, No.11 [excluding from km 17.756 to	State Government
	km 42.525 (Agra - UP/Rajasthan Border)], No.19, No.24 [excluding from km. 27.62	of Uttar Pradesh".
	to km. 488.27 (Ghaziabad - Moradabad-Bareilly-Sitapur-Lucknow including Hapur	
	and Moradabad bypasses), No. 24A, No.27 [excluding from km. 0.000 (km. 211.700	
	of NH No.2) to Km. 5.410 (new alignment of NH 27)], No.28B, No. 28C, No.29	
	[excluding from km. 2.225 to km. 208.500 (Varanasi-Gorakhpur section),	
	No.56[excluding from km. 11.500 to Km. 279.700 (Lucknow-Varanasi], No.58	
	[excluding from Km. 52.250 to km. 152.00 (Meerut- Muzaffarnagar - Uttar	
	Pradesh/Uttarakhand Border)], No. 72A, No. 73, No. 74, No. 75 [excluding from km.	
	90.00 to km. 103.00 (section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border to Jhansi)],	
	No. 76, No. 86 [excluding From km. 7.43 to km. 130.100 (Kanpur to Kabrai	
	section)], No. 91[excluding from km. 23.600 to km. 419.000 (Ghaziabad-Aligarh-	
-	Kanpur section)], No. 91A, No. 92, No. 93 [excluding from km. 0.00 to km. 79.00 (	
	Agra- Aligarh section), No. 96, No. 97, No. 119, No. 233 [excluding from	
	Km.121.800 to Km. 298.450 [Ghaghar Bridge (Indo Nepal Border) to Varanasi],	
	No. 235 [excluding from km. 7.469 to km. 66.482 (Meerut- Bulandshahar)], New No.	
	330A, New No.730, New No. 730A, New No.931, and New No.931A as are situated	
	within the State of Uttar Pradesh.	

[F.No. NH-14013/9/2012-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005 and last amended vide number S.O. 866(E), dated the 1<sup>st</sup> April, 2013.

2

## अधिसूचना

# नई दिल्ली, 16 मई, 2013

का.आ. 1228(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के क्रमशः स्तंभ (1) और (2) में यथा-विनिर्दिष्ट नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक और पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यांक के, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट खंड के, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (4) में यथा-विनिर्दिष्ट सड़क खंड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

		सारणी	
नई राष्ट्रीय	पुरानी राष्ट्रीय राजमार्ग	खंड	किमी में सड़क खंड
राजमार्ग संख्या	सं.		
(1)	(2)	(3)	(4)
28	233	घध्घर पुल (इंडो नेपाल सीमा) से वाराणसी	किमी 121.800 से किमी 298.450
731 और 31	56	सुल्तानपुर – वाराणसी	किमी 134.700 से किमी 279.700
		उत्तर प्रदेश राज्य में	

[फा.सं. एनएच-14013/9/2012-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप सचिव

#### NOTIFICATION

## New Delhi, the 16th May, 2013

**S.O.1228(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch, as specified in column (4) of the Table below, of the section specified in the corresponding entry in column (3) of the Table, of the New National Highways numbers and the Old National Highways numbers as specified in the corresponding entry in columns (1) and (2) respectively of the Table, to the National Highways Authority of India, namely:-

Old National Highway No.	Section	Stretches in Kilometers
(2)	(3)	(4)
233	Ghaghar Bridge (Indo Nepal Border) to Varanasi	From Km.121.800 to Km. 298.450
56	Sultanpur-Varanasi in the State of Uttar Pradesh	From Km.134.700 to Km. 279.700
	(2) 233	Highway No. (3)   (2) (3)   233 Ghaghar Bridge (Indo Nepal Border) to Varanasi   56 Sultanpur-Varanasi

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.